न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 44/2021 G.C.M.S. No. 2021/152 दर्ज दिनांक : 15.07.2021

अपीलार्थी:

1. सुमटीदेवी पत्नि केसाराम
2. गणेशकुमार पुत्र केसाराम
3. राजेशकुमार पुत्र केसाराम
4. पुष्पा पुत्री केसाराम
5. गीता पुत्री केसाराम, तमाम जातिगण मेणा, निवासीगण सालरिया, तहसील रानी, जिला पाली अपीलांट संख्या 1 से 5 जरिये आममुख्तियार नारायणलाल सिसोदिया पुत्र शंकरलाल, निवासी गांव सालरीया, वाया खौड, तहसील रानी व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. भानाराम पुत्र चमनाराम, उम्र वयस्क, जाति चौधरी, निवासी सालरिया, तहसील रानी व जिला पाली।
2. भूमिधारी तहसीलदार रानी, तहसील रानी व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी रानी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 05/2017 बअनवान भानाराम बनाम सुमटी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 31.12.2020 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री मनीष राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 31.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी रानी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 05/2017 बअनवान भानाराम बनाम सुमटी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 31.12.2020 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने अपीलाण्ट के विरूद्ध एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया तथा मौजा गांव सालरिया, पटवार हल्का सालरिया, तहसील रानी, जिला पाली के खसरा सख्या 260, 261 व 262 कुल रकबा 2.7300 हैक्टेयर (प्रार्थी) की खातेदारी भूमि है, उक्त वर्णित आराजियात में काश्त हेतु आवागमन के लिए रास्ता नहीं हैं, जिस कारण आराजियात में आने–जाने हेतु रास्ता खसरा सख्या 264/760 रकबा 0.7700 हैक्टयर व खसरा सख्या 263 रकबा 1.8100

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

हैक्टेयर मे से माठ के सहारे सहारे 15 फीट चौडा रास्ता की मांग की गई। अपीलाधीन आदेश अनुसार अधिनस्थ न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि अपीलाण्ट की भूमि खसरा सख्या 263 के माठ के सहारे–सहारे जमीन/रास्ता दिया जायेगा, तत्पश्चात रेस्पोंडेण्ट सख्या 01 के रास्ते के बाद अपीलाण्ट द्वारा खसरा सख्या 264 में से रास्ता लेकर उपरोक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग करेगा। उपरोक्त तथ्य बाबत यदि नक्शे का अवलोकन किया जाये तो यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि रेस्पोंडेण्ट सख्या 01 के लिये तथाकथित रूप से यदि रास्ता दिया जाना उचित प्रतित होता भी है तो खसरा सख्या 264 में से दिया जायेगा, जो रेस्पोंडेण्ट के खसरा सख्या 262 को सीधा मुख्य मार्ग से जोडता है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता घुमा फिराकर खसरा सख्या 263 में से दिया गया है, तत्पश्चात खसरा सख्याा 264 में से रास्ते का उपयोग लिया जायेगा, क्योंकि खसरा सख्या 264 की भुमि रेस्पोंडेण्ट के रिश्तेदार की भुमि है तो सुविधा के लिये रास्ता वहा से रेस्पोंडेण्ट को उपलब्ध हो जायेगा। विधि की मूल मंशा यह नहीं हैं, विधि की मूल मंशा यह है कि न्यायालय द्वारा यह देखा जायेगा कि यदि खातेदारी भुमि के लिये रास्ता नहीं हैं तो रास्ता उस खसरे मे से दिया जायेगा जो अधिक नजदीक हों। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जैर अपील आदेश पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त खसरा सख्या 264 खसरा सख्या 263 को सीधा मुख्य मार्ग से जोडता है, तथा नजदीक रास्ता भी है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर खसरा सख्या 263 में से रास्ता दिया गया है, जो आगे जाकर खसरा सख्या 264 में से रास्ता लिया जाकर मुख्य मार्ग से मिलेगा, जो विधिक रूप से उचित नहीं हैं। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट दिल्ली में निवास करते हैं व रेस्पोंडेण्ट सख्या 01 को यह जानकारी होते भी रेस्पोंडेण्ट सख्या 01 ने स्थानीय दैनिक नवज्योति समाचार पत्र के पाली संस्करण में प्रकाशित करवाया, तथा उक्त सामाचार पत्र ने तो अपीलाण्ट के गांव सालरीया मे आता है, तथा अपीलाण्ट दिल्ली में निवास करता है, इस कारण अपीलाण्ट को उपरोक्त सम्मन की जानकारी नहीं थीं, इस कारण विधिक रूप से अपील पेश करने में हुई देरी माफ किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पॉडेंट द्वारा ग्राम सालरिया तहसील रानी में स्थित अपनी आराजी खसरा संख्या 260, 261 व 262 में पहुंच हेतु अप्रार्थीगण अपीलांट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 31.12.2020 द्वारा स्वीकार कर खसरा संख्या 263 में से रास्ता स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 01.04.2021 को विलंब के साथ प्रस्तुत की। अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट दिल्ली में निवास करते हैं व रेस्पॉडेण्ट सख्या 01 को यह जानकारी होते भी रेस्पॉडेण्ट सख्या 01 ने स्थानीय दैनिक नवज्योति समाचार पत्र के पाली संस्करण में प्रकाशित करवाया, तथा उक्त सामाचार पत्र ने तो अपीलाण्ट के गांव सालरीया मे आता है, तथा अपीलाण्ट दिल्ली में निवास करता है, इस कारण अपीलाण्ट को उपरोक्त सम्मन की जानकारी नहीं थीं, इस कारण विधिक रूप से अपील पेश करने में हुई देरी माफ किये जाने योग्य है।

2. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब विद्यमान नहीं हैं तथा अपीलाधीन आदेश अपीलांट की गैर मौजदूगी में पारित किया गया है तथा विलंब अपीलांट द्वारा जानबूझकर कारित नहीं किया गया है। अतः विलंबकाल युक्तियुक्त व सद्भाविक होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में खसरा संख्या 263 में से रास्ते की मांग की गई तथा खसरा संख्या 264/760 अपनी पुत्री का होना व सहमति से रास्ता प्राप्त कर लूंगा अंकित करते हुए खसरा संख्या 264/760 में से रास्ते की मांग नहीं की गई। प्रार्थी की आराजी एवं अपीलांट्स की आराजी परस्पर समानांतर स्थित है तथा अप्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 263 से लगती हुई खसरा संख्या 264/760 की आराजी स्थित है। जो गैर मुमकिन रास्ते से लगती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल खसरा संख्या 263 में से रास्ता स्वीकृत किया गया है। जिससे प्रार्थी अपनी आराजी से खसरा संख्या 264/760 तक तो आ जा सकते हैं लेकिन खसरा संख्या 264/760 में से रास्ता स्वीकृत नहीं किया गया। जिससे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकृत रास्ता किसी भी पहुंच मार्ग से लगता हुआ नहीं हैं। बल्कि यह खसरा संख्या 262 व 261 को खसरा संख्या 264/760 को जोड़ता है। लेकिन इससे खसरा संख्या 263 के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अनुसार खसरा संख्या 264/760 की खातेदार भंवरीदेवी द्वारा शपथ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

पत्र पर बिना प्रतिफल लिए खसरा संख्या 264/760 में से रास्ता स्वीकृत करने हेतु सहमति निष्पादित की गई। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा उस पर गौर किए बिना तथा खसरा संख्या 264/760 में रास्ता दर्ज किए जाने के संबंध में कोई आदेश पारित किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अतः प्रथमदृष्टया प्रार्थी द्वारा केवल 263 में से रास्ते की मांग करना विधिविरूद्ध है तथा अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण है।

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध भू.अ.नि. की मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि भू.अ.नि. द्वारा मौका निरीक्षण से पूर्व प्रभावित खातेदारान को सूचित नहीं किया गया तथा पक्षकारान की गैर मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार कर खसरा संख्या 263 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस पर गौर किए बिना अपीलाधीन आदेश पारित करने में भूल की हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधिनुरूप पुनः निर्णयन के लिए प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी रानी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 05/2017 बअनवान भानाराम बनाम सुमटी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 31.12.2020 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में धारा 251–क एवं नियम 69 में विहित प्रावधानों तथा इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना करते हुए तथा प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए सभी संभव विकल्प प्रस्तावित करवाते हुए प्रकरण में पुनः विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 30.01.2026 को असालतन/वकालतन अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली